

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ0ग0)

--: विविध आदेश :-

क्रमांक 03/एक-11-1/06

जांजगीर-चांपा दिनांक 26/12/2016

मैं राजेश श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर-चांपा (छ0ग0), छ0ग0 सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धा बरा 15 एवं 21 (3)(4) एवं दं0प्र0सं0 की धारा 10(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हेतु पूर्व में इस हेतु जारी आदेशों को अतिष्ठित करते हुए इस स्थापना में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं 2 के अवकाश या अनुपस्थित रहने या रिक्त न्यायालय की दशा में आवश्यक सिविल प्रकरण एवं अति आवश्यक आवेदन पत्रों में कार्यवाही एवं निराकरण हेतु नामांकित स्तंभ में उनके समक्ष अंकित न्यायालयों को विधि अनुसार आगामी आदेश पर्यन्त के लिए अधिकृत करता हूँ-

क्र0	न्यायालय जिसके न्यायाधीश अवकाश पर हो	न्यायाधीश के अवकाश में होने की दशा में अति आवश्यक कार्य करने हेतु अधिकृत न्यायालय	
1	2	3	4
01	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 जांजगीर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जांजगीर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, चांपा
02	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जांजगीर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 जांजगीर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, चांपा
03	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चांपा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 जांजगीर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जांजगीर
04	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सक्ती	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चांपा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 जांजगीर
05	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 अकलतरा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 जांजगीर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जांजगीर
06	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 पामगढ़	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 अकलतरा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 जांजगीर
07	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 नवागढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 जांजगीर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 जांजगीर
08	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 डभरा	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मालखरौदा	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सक्ती
09	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मालखरौदा	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, डभरा	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सक्ती
10	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जैजैपुर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सक्ती	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, चांपा

- नोट:-1. डभरा एवं मालखरौदा के पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थित में कालम 3 एवं 4 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी की भी अनुपस्थित रहने की स्थिति में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, चांपा तथा उसकी भी अनुपस्थिति में जिला मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश कार्य संपादित करेंगे।
2. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 डभरा एवं मालखरौदा के अतिरिक्त शेष पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थित में कालम 3 एवं 4 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी की भी अनुपस्थित रहने पर जिला स्थापना में पदस्थ वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश द्वारा कार्य संपादित करेंगे।

(राजेश श्रीवास्तव)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ0ग0)